

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

पत्र सं०- 625 / 15वां वि०आ० (अन०ग्रांट) / नि०कार्य / टेण्डर / 2025-26 दिनांक: 15 सितम्बर, 2025

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों (जिनके हैसियत/चरित्र प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर के हो) को सूचित किया जाता है, कि 15वां वित्त आयोग (अनटाइड ग्रांट) के अन्तर्गत स्वीकृत 74 निर्माण कार्यों में से रु० 5.00 लाख से कम लागत के शेष 09 कार्यों की जी०एस०टी० रहित ऑफलाइन सीलबन्द निविदायें प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन दिनांक: 29 सितम्बर, 2025 को अपरान्ह 03:30 बजे तक नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग में आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिशासी अधिकारी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी। निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से निर्धारित मूल्य जमा करके दिनांक: 26 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाओं अथवा न्यूनतम निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्राप्त होने या खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेंगी। स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेबसाइट www.bahraichnpp.in पर उपलब्ध हैं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत (18% GST रहित)	02 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जीएसटी 18 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो० चांदमारी में श्री महेश मिश्र जी के मकान से श्री अशोक कुमार जी के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	498599.00	9975.00	499.00	90.00	589.00	एक माह
2	मो० रायपुर राजा में पवन कुमार के मकान से मोहित पाण्डेय के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	289643.00	5795.00	290.00	52.00	342.00	एक माह
3	मो० गुदड़ी में मोती मस्जिद से मुख्य मार्ग तक एवं बाबू के मकान से गुड्डू झाईवर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	460540.00	9215.00	461.00	83.00	544.00	एक माह
4	मो० चांदमारी में श्री अजय त्रिपाठी के मकान से श्री काशीराम के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	309650.00	6195.00	310.00	56.00	366.00	एक माह
5	मो० रायपुर राजा में जेल रोड से छवि हॉस्पिटल तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	295334.00	5910.00	295.00	53.00	348.00	एक माह
6	मो० घसियारिपुरा में बाल शिक्षा निकेतन के सामने दूसरी पटरी पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	202103.00	4045.00	202.00	36.00	238.00	एक माह
7	गुलामअलीपुरा में श्री अनुरुद्ध मिश्र के मकान से पप्पू किराना स्टोर तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	388032.00	7765.00	388.00	70.00	458.00	डेढ़ माह
8	मो० सत्तीकुआं में मुन्नू के मकान से रघुनाथ चौधरी के मकान होते हुए रवि के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	428417.00	8570.00	428.00	77.00	505.00	एक माह
9	मो० घसियारिपुरा में गुगे के मकान से दिलीप कुमार के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	193724.00	3875.00	194.00	35.00	229.00	एक माह

नियम एवं शर्तें

- निविदा के सीलबन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- सीलबन्द निविदायें नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग में रखे निविदा बाक्स में दिनांक: 29 सितम्बर, 2025 को अपरान्ह 03:30 बजे तक ही डाली जायेंगी, जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

3. निविदा के साथ प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक 02 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा की स्वीकृति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्रों की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा निविदा खालने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्रपत्रों की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा निविदा खालने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी, स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।
5. निविदा स्वीकृति सूचना/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
6. कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग त्रिस्तरीय फोटोग्राफ देना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को शासन के दिशा-निर्देशानुसार लगाना होगा।
7. निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ होने की सूचना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को देना होगा तथा स्थल पर कार्य अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कराया जायेगा।
8. कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है, तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप कराना होगा, अन्यथा कराये गये अधोमानक कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर प्रपत्र क्रय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करनी होगी।
10. प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद, बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा। तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. उक्त कार्य हेतु न्यूनतम तीन-तीन निविदायें प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बन्ध में किसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
13. निविदादाता के हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र की समयावधि निर्धारित समय के अन्दर ही होनी चाहिये। चरित्र/हैसियत प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदायें स्वीकार नहीं होगी।
14. कार्य हेतु अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध के समय टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में 08 प्रतिशत जमानत धनराशि की कटौती भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
15. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्मों को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।



(प्रमिता सिंह)
अधिकासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।



(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ0सं0 एवं दिनांक-उपरोक्त
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच।